

संशोधन क्रमांक 3

संग्रहण काल 2025 में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते के लाटों के अग्रिम निर्वर्तन हेतु प्रकाशित निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2025)-I दिनांक 02.12.2024 के भाग निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश, (परिशिष्ट-I) की शर्त क्रमांक 4, 10, 13 एवं क्रेता का करारनामा (परिशिष्ट-IV) की कंडिका 4(II), 11, 14 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

शर्त/कंडिका क्रमांक	मुद्रित प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
4(II)	अधिसूचित मात्रा से अधिक/कम प्रदाय : करारनामा, निविदा की अनुसूची-अ में वर्णित मानक बोरे में अधिसूचित मात्रा के क्रय/ विक्रय के लिए है। परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे संग्रहित होते हैं, तब क्रेता को उन्हें भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा। अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं इसके आधार पर की गई परिगणना को मान्य करना होगा।	अधिसूचित मात्रा से अधिक/कम प्रदाय : करारनामा, निविदा की अनुसूची-अ में वर्णित मानक बोरे में अधिसूचित मात्रा के क्रय/ विक्रय के लिए है। परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे संग्रहित होते हैं, तब क्रेता को उन्हें भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा। ऐसे लाट जो लाट की लागत मूल्य (जो प्रबंध संचालक, संघ द्वारा निर्धारित की जाती है) से कम दर पर स्वीकृत हुए हैं, और उन लाटों में क्रेता द्वारा अधिसूचित मात्रा से अधिक तेंदूपत्ता संग्रहित कराया जाता है, तो क्रेता को अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहित मात्रा हेतु लागत मूल्य से भुगतान कर क्रय करना होगा। अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं इसके आधार पर की गई परिगणना को मान्य करना होगा।
शर्त क्रं. 10,13 एवं कंडिका क्रं.11, 14	प्रतिभूति निक्षेप : सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित कुल क्रय मूल्य की 20% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी। इसमें 10% की सत्यांकर की राशि से समायोजित की जाएगी एवं शेष 10% तक की राशि किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट/ Electronic Cash Transfer / बैंक गारंटी (Bank	प्रतिभूति निक्षेप : सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित कुल क्रय मूल्य की 15% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी। इसमें 10% की सत्यांकर की राशि से समायोजित की जाएगी एवं शेष 5% तक की राशि किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट/ Electronic Cash Transfer / बैंक गारंटी (Bank

Guarantee) अथवा सावधि जमा रसीद (FDR) के रूप में जमा करनी होगी ।	Guarantee) अथवा सावधि जमा रसीद (FDR) के रूप में जमा करनी होगी ।
---	---

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

(संजीव कुमार झा)

महाप्रबंधक(व्यापार),

भोपाल, दिनांक 24.01.2025

कमांक / व्यापार/विप.-दो/2025/ 703
प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं महाप्रबंधक, म.प्र. ।
2. समस्त प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, म.प्र. ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है, कि संशोधन की एक-एक प्रति Notice Board पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें ।
3. **Computer Section** संघ मुख्यालय, भोपाल अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. सेंट्रल इंडिया बीडी लिहज एंसोसियेशन, रेल टोली, गोंदिया (महाराष्ट्र)
5. सागर बीडी मंचेंट एसोसियेशन, पुर्वियाउ टोरी, सागर ।
6. मालवा बीडी लीहज एसोसियेशन, साधु वासवानी नगर, इंदौर ।
7. आंध्रप्रदेश बीडी लीहज एसोसियेशन, 21 सेन्चूरी, कमर्शियल काम्पलेक्स, नामपल्ली, हैदराबाद (आंध्रप्रदेश)
8. म.प्र. बीडी लिहज मंचेंट एसोसियेशन, द्वारा ओंकारदास महादेवदास टोबेको, मंदिर महादेव रोड़, दयानंद चौक, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है, कि इस सूचना से अपने सदस्यों को अवगत करायें ।

महाप्रबंधक (व्यापार),

म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल